01. भारत के नागरिकों तथा भारत के संविधान के तहत मान्य अन्य श्रेणियों के आवेदकों से राज्य सेवा परीक्षा 2016 के अन्तर्गत निम्नलिखित सेवाओं/पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है । वर्गवार पदों की संख्या विभागों द्वारा प्रेषित मांगपत्रों के अनुसार दर्शाई गयी है । भरी जाने वाली रिक्तियॉं निम्नानुसार है –

स.क.	पदनाम/विभाग का नाम	(अ) कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				(ब) रिक्तियों में से मध्यप्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या				मध्यप्रदेश के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों हेतु आरक्षित पद	मध्यप्रदेश के मूल निवासी निःशक्त आवेदकों हेतु आरक्षित पद	कुल	वेतनमान
		अना	अजा	अजजा	अपिव	अना	अजा	अजजा	अपिव				
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
	द्वितीय श्रेणी												
	सामान्य प्रशासन विभाग												
01	राज्य प्रशासनिक सेवा उप जिलाध्यक्ष	14	04	05	04	05	01	02	01	0	1-अस्थिबाधित	**27**	15600-39100 + 5400 ग्रेड पे
	गृह(पुलिस) विभाग												
02	राज्य पुलिस सेवा उप पुलिस अधीक्षक	25	08	10	07	08	03	03	02	0	0	**50**	15600-39100 + 5400 ग्रेड पे
	सहकारिता विभाग												
03	सहायक आयुक्त सहकारिता एवं सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं	01	0	01	0	0	0	0	0	0	0	**02**	15600-39100 + 5400 ग्रेड पे
	श्रम विभाग												
04	श्रम अधिकारी	0	01	0	0	0	0	0	0	0	0	**01**	15600-39100 + 5400 ग्रेड पे
	नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग												
05	मुख्य नगरपालिका अधिकारी श्रेणी "ख"	08	0	4	1	3	0	1	0	0	0	**13**	15600-39100 + 5400 ग्रेड पे
06	सहायक संचालक	02	01	0	01	01	0	0	0	0	0	**04**	15600-39100 + 5400 ग्रेड पे
	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग												
07	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत	0	0	02	0	0	0	01	0	0	1-अस्थिबाधित	**02**	9300-34800 + 4200 ग्रेड पे
08	विकास खण्ड अधिकारी, जनपद पंचायत	01	0	00	01	0	0	00	0	0		**02**	9300-34800 + 3600 ग्रेड पे
	जनसम्पर्क विभाग												
09	सहायक संचालक जनसम्पर्क	01	0	01	0	0	0	0	0	0	1-अस्थिबाधित	**02**	15600-39100 + 5400 ग्रेड पे
	महिला एवं बाल विकास विभाग												
10	सहायक संचालक	03	02	03	0	01	01	01	0	0	0	**08**	15600-39100 + 5400 ग्रेड पे
11	बाल विकास परियोजना अधिकारी	14	06	03	04	05	02	01	01	0	2-अस्थिबाधित 1-श्रवण बाधित	**27**	9300-34800 + 3600 ग्रेड पे
	वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग												
12	सहायक संचालक उद्योग/प्रबन्धक	28	05	13	05	09	02	04	02	0	5-अस्थिबाधित	**51**	15600-39100 + 5400 ग्रेड पे

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग													
13	क्षेत्र संयोजक	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**01**	9300-34800 + 3600 ग्रेड पे

तृतीय श्रेणी													
जेल विभाग													
01	सहायक जेल अधीक्षक	09	03	04	02	03	01	01	01	01 अनारक्षित	0	**18**	5200-20200 + 2800 ग्रेड पे
वाणिज्यिक कर विभाग													
02	उप पंजीयक	0	0	02	0	0	0	1	0	0	0	**02**	5200-20200 + 2800 ग्रेड पे
सहकारिता विभाग													
03	सहकारी निरीक्षक/ सहकारिता विस्तार अधिकारी	10	03	03	02	03	01	01	01	01 अनारक्षित	01 अस्थिबाधित	**18**	5200-20200 + 2800 ग्रेड पे
परिवहन विभाग													
04	परिवहन उप निरीक्षक	10	03	03	03	03	01	01	01	01 अनारक्षित	0	**19**	5200-20200 + 2800 ग्रेड पे
श्रम विभाग													
05	सहायक श्रम पदाधिकारी	04	0	0	0	01	0	0	0	01 अनारक्षित	0	**04**	9300-34800 + 3600 ग्रेड पे
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग													
06	मुख्य नगरपालिका अधिकारी श्रेणी "ग"	0	02	0	02	0	1	0	1	0	0	**04**	9300-34800 + 3600 ग्रेड पे
											कुल	**255**	

टीप : 1 तालिका में दर्शाए गए निर्धारित वेतनमान में राज्य शासन द्वारा समय समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे ।

2 ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पूर्व आवेदक नियमो का अवलोकन कर स्वयं सुनिश्चित कर लें कि उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता है अथवा नहीं । यदि कोई आवेदक परीक्षा के किसी भी चरण में अथवा परीक्षा फल घोषित होने के बाद भी अनर्ह (Ineligible) पाया जाता है अथवा उनके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो उसकी उम्मीदवारी/चयन परिणाम निरस्त किया जा सकेगा ।

3 प्रारंभिक परीक्षा के आवेदन पत्र एवं बाद में प्रस्तुत होने वाले मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र में दी गई जानकारियों में भिन्नता पाई जाने पर आवेदन अस्वीकृत किया जा सकेगा।

4 **समस्त आरक्षण तथा उससे जुड़ी आयु सीमा की छूट मध्य प्रदेश राज्य के संदर्भ में है अत: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, नि:शक्तजन तथा भूतपूर्व सैनिक आवेदकों को देय आरक्षण एवं आयु सीमा की छूट केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को ही देय होंगी । अन्य प्रदेशों के उक्त श्रेणी के आवेदक अनारक्षित मान्य होंगे । जो पद उक्त वर्गों के लिये आरक्षित नहीं है उनपर इन वर्गों के आवेदक अनारक्षित के रूप में विचारित किये जायेंगे।** मध्यप्रदेश शासन द्वारा मान्य अन्य पिछडा वर्ग के क्रीमीलेयर में आने वाले आवेदकों को आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं अन्य लाभ देय नहीं होंगे ।
चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 2 वर्ष की परिवीक्षा पर की जाएगी ।

5 **अत्यंत महत्वपूर्ण :**

आवेदक अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पहले विज्ञापन में दिए गये निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ने के बाद ही आवेदन पत्र भरे । ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी गई जानकारी यथा जन्मतिथि, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग , नि:शक्तता ,भूतपूर्व सैनिक, शासकीय सेवक, ग्रीन कार्ड, विक्रम अवार्ड, लिंग (महिला/पुरुष) एवं परीक्षा केन्द्र से सम्बन्धित विवरण में परिवर्तन नहीं किया जाएगा तथा इस सम्बन्ध में कोई पत्र व्यवहार मान्य नहीं होगा ।

02. यदि किसी भी अनारक्षित अथवा आरक्षित प्रवर्ग में महिलाओं के लिए उपरोक्तानुसार आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव में रिक्त रह जाते हैं तो ऐसे रिक्त पद आगामी वर्ष के लिए अग्रणित (Carry Forward) नहीं किये जायेंगे । ऐसे